नवम्बर 2016 ₹15/- ISSN 2456-0790

हिन्दी मासिक पत्रिका

# छात्र विमर्श

छात्र चेतना और संकल्प का प्रतीक

www.vimarsh.org

## कटघरे में बहुसंस्कृति

■ असद आज़मी

# न्याय

न्याय और शांति
हां! जब
न्याय और शांति
का मिलन होता है तो
समाज सुख भरा
सुमन होता है
जिसकी सुगंध से
हर कोई प्रसन्न होता है
प्रफुल्लित
तन और मन होता है
परंतु!
जब न्याय के साथ
अन्याय होता है फिर
न्याय बिल्कुल असहाय
होता है
और शांति भी
डर कर
शांत हो जाती है
फिर समाज में
शूल होते हैं
सुमन नही होता
ख़िज़ां होती है
चमन नहीं होता

छात्र चेतना और संकल्प का प्रतीक

छात्र विमर्श

www.vimarsh.org हिन्दी मासिक

नवम्बर 2016, वर्ष : 4, अंक : 12
Total Pages 44 (W.C.)

संपादक
तय्यब अहमद
editor@vimarsh.org

उपसंपादक
मुसद्दिक़ मुबीन

प्रबंधक
जुनैद ख़ान
07532063797
managerrmgp@sio-india.org

सहायक प्रबंधक
नूरुल मुबीन नदाफ़
08447622919

संपादकीय/प्रबंधकीय कार्यालय
'छात्र विमर्श' हिन्दी मासिक
D-300, अबुल फ़ज़्ल इन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025
Tel. 011-26949817

सहयोग राशि
एक प्रति रु. 15/- वार्षिक रु. 160/-

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद रिजवान द्वारा D-300, अबुल फ़ज़्ल इन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत आफसेट 2034ई35, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित

संपादक - तय्यब अहमद

लेखक के विचारों से संगठन अथवा संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है, आपके विचार और रचनाएं आमंत्रित हैं

कुछ तस्वीरें Google से साभार

# इस अंक में

## ट्रिपल तलाक़ के आवरण में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस

■ तहमीना लश्कर

ट्रिपल तलाक़, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और लैंगिक न्याय पर हाल ही की बहस का कोलाहल दिखाता है कि कैसे बहस का अपहरण कर लिया जाता है और फिर किस तरह उसे बेरहम 'फांसी' पर चढ़ा दिया जाता है।

## इंडिया इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमिक कॉन्फ्रेंस

■ संपादन प्रभाग

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) एक देशव्यापी छात्र संगठन है, जो देश के विकास एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है।

■ तहमीना लश्कर

# ट्रिपल तलाक़ के आवरण में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बहस

ट्रिपल तलाक़, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और लैंगिक न्याय पर हाल ही की बहस का कोलाहल दिखाता है कि कैसे बहस का अपहरण कर लिया जाता है और फिर किस तरह उसे बेरहम 'फांसी' पर चढ़ा दिया जाता है। स्वस्थ्य बहस की गूँज हर जगह सुनाई देती है लेकिन मुझे अभी तक ऐसी किसी स्वस्थ्य बहस का तजुर्बा नहीं हुआ है जो इस मुद्दे पर की गयी हो। आज जब मैं इस मुद्दे की परतों को खोलने साहस जुटाऊँगी तो थोड़े संयम की आवश्यकता है क्योंकि यह बहस हाँ या न वाली बहस नहीं हैं। हम सबसे पहले यूनिफार्म सिविल कोड की शब्दावली के साथ ही बहस की शुरूआत करते हैं। एक संविधान जो बराबरी के बीच समानता का वादा करता हो कैसे 'यूनिफ़ॉर्म' जैसी शब्दावली को थोप सकता है। कानूनी बहुलवाद, जो हमारी संवैधानिक नैतिकता में निहित है, के कारण ही संविधान निर्माताओं ने बजाए इसके कि यूनिफार्म सिविल कोड को अनिवार्य तौर पर लागू करे, इसे राज्य के नीति-निदेशक तत्व में रखा है।इसके अलावा, जैसा कि हम देखते हैं कि किस तरह भारतीय संविधान

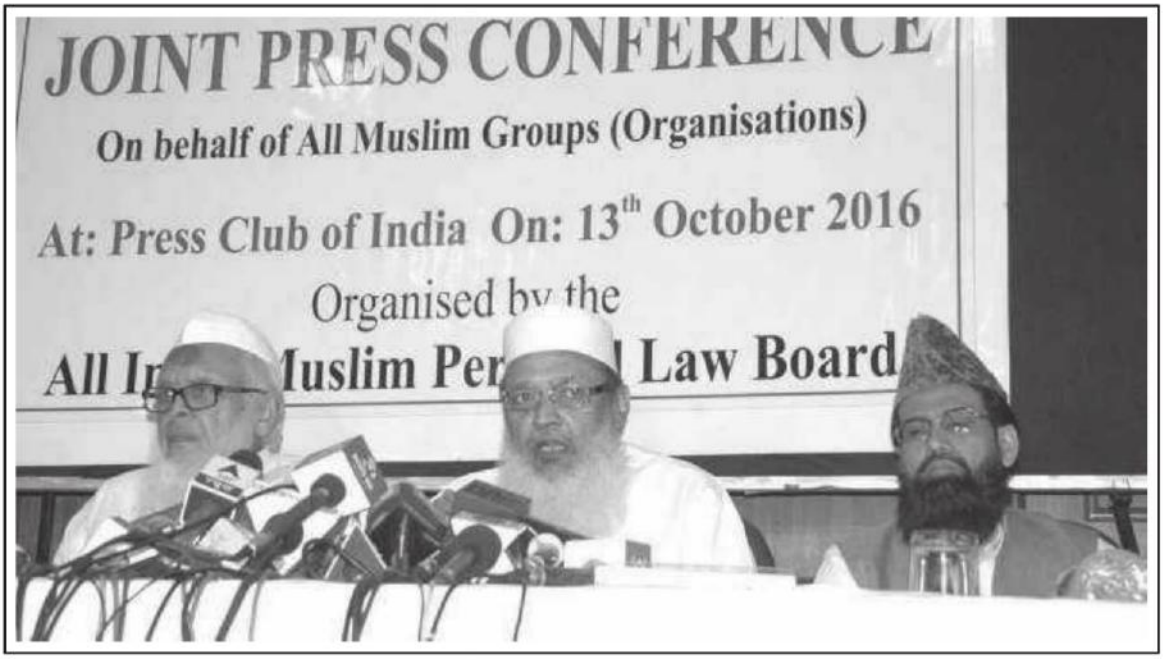


**2002 में पांच राज्यों में मुस्लिम विवाह की स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए बनाया गया प्रावधान जो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मेघालय में लागू है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, उड़ीसा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1949 तथा बंगाल मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1876 प्रासंगिक कानून हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने एक नीति पंचायतों द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण और जन्म और मृत्यु से संबंधित अपने रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारतीय नागरिकों पर धर्म की कैद किये बिना बिना प्रत्येक शादी को विशेष रूप से नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा पंजीकृत करना जरूरी है। यह उन सभी धर्म जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए एक वैध कानूनी मार्ग है जिनको लगता है कि निजी कानून लैंगिक न्याय अनुकूल नहीं हैं।**

में विवाह से संबंधित निजी कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। विवाह के पंजीकरण के संबंध में प्रासंगिक कानूनों के संकलन से यह प्रतीत होता है कि चार कानून हैं जो विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए प्रदत्त हैं। वे हैं: (1) विवाह अधिनियम, 1953 (महाराष्ट्र और गुजरात के लिए लागू) की बंबई पंजीकरण, (2) कर्नाटक विवाह (पंजीकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976, (3) विवाह अधिनियम हिमाचल प्रदेश पंजीकरण, 1996 और (4) आंध्र प्रदेश विवाह अधिनियम का अनिवार्य पंजीकरण।

2002 में पांच राज्यों में मुस्लिम विवाह की स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए बनाया गया प्रावधान जो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मेघालय में लागू है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, उड़ीसा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1949 तथा बंगाल मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1876 प्रासंगिक कानून हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने एक नीति पंचायतों द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण और जन्म और मृत्यु से संबंधित अपने रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारतीय नागरिकों पर धर्म की कैद किये बिना बिना प्रत्येक शादी को विशेष रूप से नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा पंजीकृत करना जरूरी है। यह उन सभी धर्म जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए एक वैध कानूनी मार्ग है जिनको लगता है कि निजी कानून लैंगिक न्याय अनुकूल नहीं हैं।

**एसआईओ का मानना है कि प्रत्येक छात्र समाज के प्रति उत्तरदायी है तथा उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुये एसआईओ शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों तथा कॉलेजों में पहुँच कर छात्रों को उनके उत्तरदायित्वों का एहसास दिलाती है। वह चाहती है कि छात्र समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करें। विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर एसआईओ ने अपने संघर्ष के द्वारा अपनी उपस्थिति को बड़े पैमाने पर दर्ज कराया है। एसआईओ का सदैव उद्देश्य ही यह रहता है कि ऐसे शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफार्म पर संगठित किया जाए जिनके पास समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने का कोई विजन हो।**

पर राय जानने की कोशिश की गई। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को संभव बनाने का प्रयास किया गया कि विभिन्न मतों की विचारधारा से संबन्धित बुद्धिजीवियों से लाभान्वित हुआ जाए एवं उनके विचारों को समझा जाए।

निश्चय ही इससे हमारे मन-मस्तिष्क को विस्तार मिलेगा जो हमें समाज में काम करने में सहायक होगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमें विश्वस्तरीय बुद्धिजीवियों तथा शोधार्थियों से भरपूर लाभान्वित होने तथा कुछ सीखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। शैक्षिक तथा वैचारिक मैदानों में आगे बढ़ने का साहस भी हुआ।

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) की ओर से 08-09 अक्तूबर 2016 को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज शुभारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व प्रसिद्ध बुद्धिजीवी तथा शोधार्थी सम्मिलित हुए। मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी (अमीर, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द) ने आरंभिक सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता कि हमारे देश भारत के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक एसआईओ ने शिक्षा की उन्नति को लेकर खास तवज्जो के साथ इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया तथा इसके लिए पारंपरिक तथा आधुनिक विषयों का चयन किया। इस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं होंगी उससे सम्पूर्ण छात्र-जाति तथा मानवता को अत्यधिक लाभ होगा तथा अनुसंधान के लिए नए विषय सामने आएंगे। मौलाना उमरी ने आगे कहा कि यह इस दुनिया का कानून है कि जो कौम भी शिक्षा के मैदान में आगे होती है वह न केवल यह कि विकास के पथ पर अग्रसर भी होती है बल्कि विश्व-नेता भी बनती है।

प्रोग्राम के आरंभ में लईक अहमद खान ने संक्षिप्त में कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंन बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इस्लाम के जो स्पष्ट एवं उज्जवल मूल्य हैं उन्हें परवान चढ़ाने तथा उनमें गति पैदा करने के उद्देश्य से एसआईओ ऑफ इंडिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक अकेडमिक कॉन्फ्रेंस (IIIAC) के आयोजन का फैसला किया।

कार्यक्रम में इस्लामी दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी (अमीर, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द), मौलाना सय्यद सलमान हुसैनी नदवी (डीन, फैकल्टी ऑफ शरिया, नदवतुल उलमा, लखनऊ), इकबाल हुसैन (राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसआईओ ऑफ इंडिया), अलिफ शुकूर (जनरल सेक्रेटरी, एसआईओ ऑफ इंडिया), ज़फ़रुल इस्लाम खान (एडिटर, मिलली गजेट), प्रोफेसर मोहसीन उस्मानी नदवी, मौलाना अमीन उस्मानी नदवी (जनरल सेक्रेटरी, इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी), नुसरत अली (उपाध्यक्ष, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद), डॉ मुहम्मद रफत (प्रोफेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि) आदि मौजूद रहे।

मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने मुस्लिम नौजवानों को सीरत-ए-रसूल (सल्ल.) की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वह इस्लाम को अपना आदर्श बनाएँ तथा दृढ़-संकल्प लें कि सम्पूर्ण मानवता तक इस्लाम के शांति एवं मानवता के संदेश को आम करेंगे।

प्रोफेसर ज़फ़रूल इस्लाम खान ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे देश का यह छात्र संगठन एसआईओ शुभकामनाओं का पात्र है कि उसने शिक्षा से आगे बढ़कर रिसर्च एवं अनुसंधान की ओर कदम बढ़ाया।

इंजी. मुहम्मद सलीम ने बताया कि दुनिया में कौमों तथा राष्ट्रों के विकास की पहचान इस से है कि उन्होंन रिसर्च की ओर कितने कदम बढ़ाए।

इक़बाल हुसैन (राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसआईओ ऑफ इंडिया) ने बताया कि इस्लाम एक सार्वभौमिक धर्म है। यह केवल इस्लाम के अनुयायियों व मुसलमानों से ही बहस नहीं करता बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए वह मुकम्मल जीवन-व्यवस्था प्रस्तुत

■ डा. संदीप पाण्डेय

# युद्ध की बात करने वाले देशद्रोही हैं

उड़ी हमले के जवाब में हुए सर्जिकल धावे के बाद, जिसके बारे में देश को ठीक से बताया नहीं जा रहा, भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगभग विजयी मुद्रा में आ गई है। उसी तरह जैसे 1998 में 11 मई को पोकरण नाभिकीय परीक्षण के बाद। तब भी भाजपा नेताओं के स्वर चेतावनी से लेकर धमकी भरे थे। लेकिन महीना खत्म भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने भी नाभिकीय परीक्षण करके दिखा दिए। इसलिए जो भारतीय सेना के पराक्रम से आत्ममुग्ध हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। भारत ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है कि पाकिस्तान हमेशा-हमेशा के लिए भारत का लोहा मान लेगा। पोकरण के नाभिकीय परीक्षण के बाद भी भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों को यह बताया था कि अब भारत के पास ऐसा शस्त्र आ गया है कि पाकिस्तान क्या अमरीका भी हमारी तरफ नजर उठा कर नहीं देखेगा। किंतु अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही कारगिल में घुसपैठ हो गई।

जिस तरह पोकरण के नाभिकीय परीक्षणों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक नाभिकीय शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई तो दोनों ही देशों, जिनके सामाजिक मानक दक्षिण एशिया में सबसे खराब हैं, के बहुमूल्य संसाधन जो आम गरीब जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने चाहिए थे, तबाही की सामग्री जुटाने में लग गए, उसी तरह भारत के सर्जिकल धावे से हथियारों की होड़ और तेज होगी। यह उम्मीद करना कि पाकिस्तान अब भारत पर हमले करने से बाज आएगा, पाकिस्तान को कम आंकना है। हथियारों की होड़ के साथ दिक्कत यह है कि वह कहां रुकेगी यह किसी को नहीं मालूम। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा एक से एक नवीन हथियार, जिनकी पेचीदगी भी बढ़कर होगी, बाजार में आएंगे। एक देश यदि इनमें से कोई हथियार खरीदता है तो दूसरे की मजबूरी हो जाती है कि वह भी उसे टक्कर

**निवेदिता मेनन**
**लेखिका एवं प्रोफेसर, जेएनयू**

यानी स्वतंत्रता पूर्व 1937 से ही से एक यूनिफार्म सिविल कोड की मांग की गयी है।

हालांकि यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा शायद ही कभी 'लैंगिक न्याय' रहा है। यह हमेशा ही राष्ट्रीय अखंडता बनाम समुदायों के सांस्कृतिक अधिकार के तौर पर खड़ा किया गया है। भारत में मौजूद बहुलवादी वैधता व्यवस्था के कारण राष्ट्र की अखंडता का हमेशा खतरे में रहने का तर्क ही यूनिफार्म सिविल कोड का तर्क रहा है, इसके विपरीत, इस के प्रतिरोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसके लागू हो जाने से अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर दिया जायेगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

तथापि, इनमें से प्रत्येक राष्ट्र और समुदाय दोनों भारतीय नारीवादियों के लिए समस्या रही है। नारीवादी समुदायों के अयोग्य अधिकार को अपनी सांस्कृतिक पहचान के नाम पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हालांकि इस तरह की पहचान के लिए जगह होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अतिआवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि जो समुदाय राज्य से स्वायत्तता, Selfhood, संसाधनों तक पहुंच पर अपने अधिकारों का दावा करते हैं वही समुदाय अपनी महिलाओं को खुद अपने समुदाय में उन अधिकारों से वंचित करते हैं। दूसरे शब्दों में, पर्सनल लॉ के भेदभावपूर्ण प्रावधान उसी तरह से एक्सक्लूजन पर आधारित है जिस तरह राष्ट्र अपने अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है। तो एक्सक्लूजन के आधार पर ही खारिज किया जाना चाहिए। यूनिफार्म सिविल कोड के लिए यह दलील भी समान रूप से अस्वीकार्य है कि जब हिंदुओं ने स्वेच्छा से सुधार स्वीकार कर लिया है लेकिन 'अन्य' समुदाय (अल्पसंख्यक) इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो यह राज्य की अखंडता के लिए एक खतरा है।

इस प्रकार, एक समान नागरिक संहिता के लिए तर्क हिंदू-दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंडे का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कानूनों में एकरूपता का अर्थ लैंगिक न्याय नहीं है। इसलिए महिलाओं के आंदोलन अब समुदायों के भीतर ही सुधार का समर्थन करते हैं जैसा कि भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन और बेबाक कलेक्टिव की कोशिशें हैं। साथ ही वो उन मामलों में कानूनी सुधारों का समर्थन करते हैं, जो पर्सनल लॉ से संबधित नहीं हैं जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम!

# लैंगिक मुद्दे पर आंतरिक संवाद हो।

**शीबा असलम फहमी**
**रिसर्च स्कॉलर, जेएनयू**

यूनिफार्म सिविल कोड की वकालत सिर्फ मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने के डंडे के तौर पर हो रही है। यह एक ख्वाब है कि समान नागरिक संहिता से लैंगिक न्याय की स्थापना की जा सकेगी।

दूसरी बात यह है कि सब तरफ इस बात का हो-हल्ला तो हो रहा है लकिन यह एक तमाशा है कि इसका कोई ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जब तक कोई चीज या उसका कोई खाका तैयार होकर लिखित रूप में हमारी आँखों के सामने नहीं आता इस पर बात करने की जरुरत ही महसूस नहीं होती। हम कोई अन्धविश्वासी थोड़े ही हैं जो चीजों को बगैर देखे उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर बात करने लगे। जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के इश्यूज का कोर्ट में जाने का मामला है मेरा खयाल है कि इसमें हमें समुदाय के भीतर संवाद को वरीयता देनी चाहिए!

# यूनिफॉर्म सिविल कोड की धारणा बहुसंस्कृतिवाद के विरुद्ध

यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना ही बहुसंस्कृतिवाद और विविधता की अवधारणाओं के विपरीत है। यह सोचना कि देश की एकता के लिए आम नागरिक संहिता आवश्यक है, एक जुल्म और सर्वाधिकारवादी यथार्थवादी कल्पना है।

भारत जैसे वैश्विक सांस्कृतिक देश में एक रंगी और न्दपवित. उपजल के आधार पर अखंडता की कल्पना दरअसल अराजकता

फिल्म समीक्षा

■ हुमा अहमद

# पिंक - अनसुलझे सवालों की कहानी

हाल ही में रिलीज हुई शुजीत सरकार द्वारा निर्मित फिल्म 'पिंक' अपनी विषयवस्तु 'औरतों को लेकर समाज के दोगले मापदंड' के कारण काफी चर्चित हुई।

जाहिर तौर पर पूरी फिल्म मैरिटल रेप, यौन-शोषण, नस्लभेद, दोगले सामाजिक नियमों पर बहस करती दिखायी देती है, लेकिन साथ ही साथ यह फिल्म बाजार द्वारा स्त्री को शोषित की भूमिका में ही रखने वाली स्त्री सशक्तीकरण और तथाकथित आधुनिकता को ही पोषित करती है।

जब हम इस पहलू पर गौर करते हैं तो ज्ञात होता है कि शायद फिल्म के निर्माता-निर्देशक बाजार और कॉर्पोरेट की बुराइयों को दिखाकर बाजार द्वारा बॉयकॉट का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते होंगे। यह फिल्म मेट्रो सिटीज में रहने वाली औरतों की कहानी कहती है। फिल्म में छोटे शहरों और गाँवों की महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को मुद्दा नहीं बनाया गया है। फिल्म के केंद्र में खुद के दम पर कमाने वाली आर्थिक रूप से सशक्त तीन महिलायें मीनल, फलक और एन्ड्रिया है। यह तीनों एक फ्लैट में एक साथ ही रहती हैं। पूरी फिल्म कोर्ट ट्रायल के माध्यम से महिलाओं के साथ किये जाने वाले दोगले व्यवहार की मानसिकता का एनकाउंटर करती है। फिल्म के केंद्र में जो घटना है, उसे फिल्मकार ने दिखाया नहीं है केवल कोर्ट में पात्रों के बयानों के आधार पर समझाते हुए दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया है। पात्रों द्वारा दिए गये बयानों के आधार पर मालूम होता है कि मीनल, फलक और एन्ड्रिया एक होटल में राजवीर और उसके दोस्तों से मिलते हैं। राजवीर एक बड़े पॉलिटीशियन का भतीजा है। राजवीर के दोस्तों में से एक मीनल का स्कूल फ्रेंड है उसी के माध्यम से उनकी आपस में दोस्ती होती है। राजवीर और उसके मित्र मीनल, फलक और एन्ड्रिया का तथाकथित खुला व्यवहार देखकर उन्हें चालू समझते हैं। राजवीर मीनल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मीनल अपने बचाव में शराब की बोतल उसके सिर पर दे मारती है। राजवीर को ज़्यादा चोट लगने की वजह से तीनों लड़कियाँ घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं।

इस घटना के बाद से शुरू होता राजवीर द्वारा उन तीनों को परेशान किया जाना। राजवीर के दोस्त बदला लेने के लिये मीनल का रेप करते हैं और उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर की झूटी रिपोर्ट भी मीनल के खिलाफ लिखवाते हैं। पुलिस पूरे केस में राजवीर का ही साथ देती है। लड़कियों को मुसीबत में असहाय देखकर अमिताभ बच्चन जो कि वकील हैं, मदद के लिये आगे आते हैं।

पूरे कोर्ट ट्रायल के दौरान राजवीर का वकील औरतों को लेकर बने दोगले नियमों का हवाला देकर तीनों लड़कियों को चरित्रहीन साबित करना चाहता है तथा अमिताभ बच्चन दोहरे सामाजिक मापदण्डों पर व्यंग्य करते हुए लड़कियों को बेगुनाह साबित करने का प्रयास करते हैं।

इस तरह से पूरी फिल्म तथाकथित आधुनिक जीवनशैली का अनुसरण करने वालों के बीच औरतों को लेकर बनाए गये लिंगभेदी मापदंडों पर कड़ा प्रहार करती है। यहाँ तक 'पिंक' अपने मकसद में पूरी तरह सफल है।

हालाँकि डेढ़-दो घंटे की फिल्म एक बार में बहुत सारे मुद्दे नहीं समेट सकती लेकिन पिंक नारी-सशक्तिकरण के मुददे को उठाने के बावजूद बाजार की मर्दवादी मानसिकता को पोषण देती महसूस होती है। आखिर यह बाजारवादी और मर्दवादी विचारधारा ही है जो तमाम स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियों के बावजूद शराब और छोटे कपड़ों को आधुनिकता का पर्याय बनाती है। नारी-सशक्तिकरण का अर्थ इन्हीं नियमों का पालन करना हो गया है।

फिल्म में जब एक मुद्दा सेक्स वर्कर्स का भी उठाया जाता है, तब यह फिल्म सेक्स इंडस्ट्री को जस्टिफाई करती प्रतीत होती है। सेक्स वर्कर्स किन परिस्थितियों में सेक्स वर्कर बनते हैं या बना दिये जाते हैं और किस तरह से सेक्स इंडस्ट्री मर्दवादी बाजार की उपज है इस बिंदु को गौण कर दिया गया।

आखिर में लगता यही है कि जिस तरह से एक कमर्शियल मुद्दा विहीन फिल्म मर्दों की सत्ता बनाये रखने के लिये आधुनिकता और नारी-सशक्तिकरण को परिभाषित करती है, 'पिंक' उससे कुछ खास अलग नहीं। मर्द अगर बाजार के गुलाम हैं तो बराबरी के नाम पर औरतों को भी क्यों बाजार का ही गुलाम बनना है? औरतें यदि सशक्त हैं, सक्षम हैं तो क्यों नहीं उन्हें मर्दवादी बाजार के नियमों को तोड़कर आधुनिकता, सशक्तिकरण के नये मापदंड बनाना चाहिये? यह कुछ सवाल हैं जो 'पिंक' देखकर जेहन में उभरते हैं।